अनुलग्नक

अनुलग्नक-5.1

(पैराग्राफ सं. 5.5 का संदर्भ लें)

ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया

मद सं.	नाम/विवरण	दर विश्लेषण	प्रति घन मीटर रॉयल्टी की दर	₹ 22 प्रति घन मीटर (घ.मी.) की दर पर रॉयल्टी सहित विश्लेषण दर	6% जोड़ना (डब्ल्यूसीटी, उपकर प्रवेश कर आदि)	बीओक्यू दर	भुगतान दर (निविदा या अनुबंध दर) (बीओक्यू दर से नीचे (0.24%)	निष्पादित मात्रा (घन मीटर में)	ठेकेदार को भुगतान (कॉ. 8× कॉ. 9)	बिहार सरकार को ठेकेदार द्वारा देय/रॉयल्टी अदा की गई	बीओक्यू में रॉयल्टी के शामिल होने के कारण ठेकेदार द्वारा रखी गई राशि (₹ में) (कॉ. 9 × ₹ 22/मी^{3} की दर पर रॉयल्टी दर)	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.03	सभी स्रोतों के अपवहन के साथ हाइड्रौलिक उत्खनक सीके 90 एवं टिप्पर्स का प्रयोग करके मिट्टी का उत्खनन निर्माण-स्थल के अंदर अपवहन के साथ हाइड्रौलिक उत्खनक सीके 90 टिप्पर्स का प्रयोग करके मिट्टी में उत्खनन। निर्माण-स्थल के अंदर लाइन्स ग्रेड्स एवं क्रॉस सेक्शंस तथा सभी लिफ्टों एवं 1000 मी. तक आगे बढ़ाने के साथ तटबंध स्थल तक ढ़ोने की आवश्यकतानुसार, कटिंग एवं टिप्पर्स में लोडिंग करना, तली एवं किनारे वाले ढलानों को समतल करने के साथ डोल क्षमता सहित 0.9 घन मीटर की हाइड्रौलिक उत्खनक से मिट्टी में सड़क निर्माण या जल निकाय या तूफानी जल निकास आदि के लिए उत्खनन।	77.67	22	99.67	6	106	105.75	3,43,019.28 मी^{3}	3,62,74,289	अदा नहीं किया	75,46,424	बीओक्यू दर में रॉयल्टी को निम्नवत जोड़ा नहीं जाना चाहिए था (i) बिहार सरकार की अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2012 में रॉयल्टी की दर साधारण मिट्टी की 22/घन मीटर निश्चित थी जिसे तटबंध सड़क, इमारत के निर्माण एवं सतही करने के उद्देश्य हेतु इस्तेमाल किया गया है। (ii) अपने पत्र में जिला खनन कार्यालय ने स्पष्ट किया कि रॉयल्टी केवल मिट्टी के प्रयोग हेतु जमा की जाए एवं कटौती की जाए तथा (iii) इस मद सं. 2.03 का कार्य केवल मिट्टी के उत्खनन कार्य से संबंधित है तथा निकाली गई मिट्टी का प्रयोग किसी भी उद्देश्य हेतु इस मद में नहीं किया जा रहा है उत्खनन की गई मिट्टी की 343019 मी^{3} - की मात्रा में से 176148.64 मी^{3} का प्रयोग मद सं. 2.05 में तटबंध के निर्माण में किया गया है तथा 1,66,871 मी^{3} (343019.28 मी^{3} - 176148.64 मी.^{3}) की शेष उत्खनन की गई मात्रा को विश्वविद्यालय परिसर में ढेर लगा दिया गया। फिर भी ठेकेदार की रॉयल्टी ₹75,46,424 (₹22 की दर पर 343019.28 मी^{3}) को शामिल कर भुगतान किया गया। ठेकेदार को भुगतान केवल उत्खनन कार्य हेतु किया गया।

मद सं.	नाम/विवरण	दर विश्लेषण	प्रति घन मीटर रॉयल्टी की दर	₹ 22 प्रति घन मीटर (घ.मी.) की दर पर रॉयल्टी सहित विश्लेषण दर	6% जोड़ना (डब्ल्यूसीटी, उपकर प्रवेश कर आदि)	बीओक्यू दर	भुगतान दर (निविदा या अनुबंध दर) (बीओक्यू दर से नीचे (0.24%)	निष्पादित मात्रा (घन मीटर में)	ठेकेदार को भुगतान (कॉ. 8× कॉ. 9)	बिहार सरकार को ठेकेदार द्वारा देय/रॉयल्टी अदा की गई	बीओक्यू में रॉयल्टी के शामिल होने के कारण ठेकेदार द्वारा रखी गई राशि (₹ में) (कॉ. 9 × ₹ 22/मी³ की दर पर रॉयल्टी दर)	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
2.04	निर्माण-स्थल तक ढोने के लिए सभी लिफ्टस एवं 1000 मी तक लेन आगे बढ़ाने के साथ उधार लिए गड्ढ़ों से प्राप्त अनुमोदित तटबंध का निर्माण एमओआरटीएच तालिका 300-2 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित स्लोप को श्रेणीकरण करके एवं ठोस बनाते हुए फैलाना।	208.98	23.65 (रॉयल्टी ₹22 की दर पर+ उधार लिए गडढों से प्राप्त हो रही सामग्री के कारण ₹1.65 की दर पर क्षतिपूर्ति)	232.63	13.98	247	246.41	0	-	0	0	बीओक्यू दर में रॉयल्टी को जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि मिट्टी का प्रयोग तटबंध कार्य के निर्माण हेतु किया जा रहा है। तथापि, मद सं. 2.04 अंततः निष्पादित नहीं किया गया, इसीलिए इस कार्य हेतु कोई भी भुगतान नहीं किया गया।
2.05	सड़क मार्ग/जल निकाय काटने से जमा सामग्री के साथ तटबंध का निर्माण (सड़क मार्ग/जल निकाय काटने से निर्माण-स्थल पर जमा अनुमोदित सामग्री के साथ तटबंध का निर्माण तथा एमओआरटीएच तालिका 300-2 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए श्रेणीबद्ध एवं ठोस अन्य संरचनाओं के निकास एवं निर्माण से उत्खनन)	153.61	22	175.61	10.56	187	186.55	1,76,148.64 मी³	3,28,60,529	38,75,256	-	बीओक्यू दर में रॉयल्टी को जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि मिट्टी का प्रयोग तटबंध कार्य के निर्माण हेतु किया जा रहा है। (मिट्टी को मद सं. 2.03 से प्राप्त किया जा रहा है) तथापि, ठेकेदार को भुगतान की गई रॉयल्टी ₹38,75,270 (₹ 22 की दर पर 1,76,148 मी³)को शामिल किया गया।
2.06	सबग्रेड एवं मिट्टी के स्कंध का निर्माण (निर्माण-स्थल तक ढोने के लिए सभी लिफ्टस एवं 1000मी. तक आगे बढ़ाने के साथ उधार लिए गड्ढ़ों से प्राप्त अनुमोदित सामग्री सहित सबग्रेड एवं मिट्टी के स्कंध हेतु तटबंध का निर्माण, एमओआरटीएच तालिका 300-2 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित स्लोप को श्रेणीकरण करके एवं ठोस बनाकर फैलाना ।	244.36	23.65 (₹22 की दर पर रॉयल्टी+उधार लिए गड्ढ़ो से प्राप्त हो रही सामग्री के कारण ₹1.65 की दर पर क्षतिपूर्ति)	268.01	16.08	284	283.32	1,21,197.62 मी³	3,43,37,710	26,66,348	0	बीओक्यू दर में रॉयल्टी को जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि मिट्टी का प्रयोग तटबंध कार्य के निर्माण हेतु किया जा रहा है। (मिट्टी उधार लिए गड्ढे अर्थात निजी जमीन से ली जा रही है। 1,23000मी³ में से केवल 1,21,197.62 मी³ को कार्य में प्रयोग किया गया इसीलिए ₹26.66 लाख (₹22 की दर पर 1,21,197.62 की रॉयल्टी की राशि विश्वविद्यालय से संबंधित थी। ठेकेदार को भुगतान ₹26,66,348 (₹22 की दर पर ₹1,21,197.62) के रॉयल्टी घटक को शामिल करके किया गया। तथापि, इस मामले में पट्टे की अनुमति प्राप्त करते समय ठेकेदार ने रॉयल्टी बिहार सरकार को जमा की।

मद सं.	नाम/विवरण	दर विश्लेषण	प्रति घन मीटर रॉयल्टी की दर	₹ 22 प्रति घन मीटर (घ.मी.) की दर पर रॉयल्टी सहित विश्लेषण दर	6% जोड़ना (डब्ल्यूसीटी, उपकर प्रवेश कर आदि)	बीओक्यू दर	भुगतान दर (निविदा या अनुबंध दर) (बीओक्यू दर से नीचे (0.24%)	निष्पादित मात्रा (घन मीटर में)	ठेकेदार को भुगतान (कॉ. 8× कॉ. 9)	बिहार सरकार को ठेकेदार द्वारा देय/रॉयल्टी अदा की गई	बीओक्यू में रॉयल्टी के शामिल होने के कारण ठेकेदार द्वारा रखी गई राशि (₹ में) (कॉ. 9 × ₹ 22/मी^{3} की दर पर रॉयल्टी दर)	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
2.07	संरचनाओं हेतु उत्खनन (भरना, शोरिंग एवं ब्रेसिंग का निर्माण, ठूंठों एवं अन्य हानिकारक पदार्थ को हटाना अनुमोदित सामग्री से किनारों एवं तली को तराशना तथा बैकफिलिंग करना) साधारण मिट्टी (3.0मी तक गहरी)	67.69	22	89.69	5.4	95	94.77	1,092.54	1,03,540	अदा नहीं किया	24,036	बीओक्यू दर में रॉयल्टी को नही जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इस मद का कार्य केवल संरचना कार्य हेतु निर्माण के लिए मिट्टी के उत्खनन कार्य से संबंधित है तथा इस मद में निकाली गई मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार को भुगतान केवल उत्खनन कार्य हेतु किया गया। भुगतान में रायॅल्टी घटक ₹24.036 (₹22 की दर पर 1,092.54 मी^{3}) शामिल था।
योग								**6,41,458.08**	**10,35,76,068**	**65,41,604**	**75,70,460**	
									(रॉयल्टी संघटक को शामिल करते हुए) ₹1,41,12,078			

अनुलग्नक-6.1

(पैराग्राफ सं. 6.1 का संदर्भ लें)

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को अनियमित भुगतान

महीना	कुल संव्यवहार	प्रोत्साहन हेतु योग्य संव्यवहार	प्रोत्साहन हेतु अनुमत अधिक संव्यवहार	अधिक भुगतान (₹ में)
ए	बी	सी	डी=बी-सी	ई=डी*5
जनवरी 2018	13,45,984	6,68,648	6,77,336	33,86,680
फरवरी 2018	12,56,797	6,15,303	6,41,494	32,07,470
मार्च 2018	19,67,988	8,83,826	10,84,162	54,20,810
अप्रैल 2018	11,22,044	4,86,226	6,35,818	31,79,090
मई 2018	6,21,969	2,97,582	3,24,387	16,21,935
कुल (ए)				**1,68,15,985**

अनुबंध-6.2

(पैराग्राफ सं. 6.1 का संदर्भ लें)

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को अनियमित भुगतान

महीना	कुल संव्यवहार	प्रोत्साहन हेतु कुल संव्यवहार	कुल संव्यवहारों से अयोग्यता की प्रतिशतता	कुल संव्यवहारों पर भुगतान किया गया अस्थिर घटक (₹ में)	अधिक अस्थिर प्रोत्साहन भुगतान (₹ में)
ए	**बी**	**सी**	**डी**	**ई**	**एफ=डीxई/100**
जनवरी 2018	13,45,984	6,77,336	50.32	49,66,341.50	24,99,063.04
फरवरी 2018	12,56,797	6,41,494	51.04	46,21,863.00	23,58,998.88
मार्च 2018	19,67,988	10,84,162	55.09	66,62,999.50	36,70,646.42
अप्रैल 2018	11,22,044	6,35,818	56.67	38,20,419.00	21,65,031.45
मई 2018	6,21,969	3,24,388	52.15	24,11,128.00	12,57,403.25
कुल (बी)					**1,19,51,143.04**

कुल (ए)	**1,68,15,985.00**
कुल (बी)	**1,19,51,143.04**
कुल योग (ए) + (बी)	**2,87,67,128.04**

अनुलग्नक-7.1

(पैराग्राफ सं. 7.2 का संदर्भ लें)

जीसी सीआरपीएफ, बिलासपुर की विद्युत आपूर्ति हेतु बिजली के अंतर्गत परिहार्य मांग प्रभार के विवरण

क्रम. सं.	माह	संविदा मांग	बिल की गई मांग	वास्तविक मांग	अंतर	दर	(राशि ₹ में)
1.	नवम्बर-13	1005	754	0	1173	360	4,22,280
2.	दिसम्बर-13	1005	754	0	1005	360	3,61,800
3.	जनवरी-14	1005	754	0	1005	360	3,61,800
4.	फरवरी-14	1005	754	0	1005	360	3,61,800
5.	मार्च-14	1005	754	80	925	360	3,33,000
6.	अप्रैल-14	1005	754	163	591	360	2,12,760
7.	मई-14	1005	754	179	575	360	2,07,000
8.	जून-14	1005	754	208	546	360	1,96,560
9.	जुलाई-14	1005	754	210	544	360	1,95,840
10.	अगस्त-14	1005	754	219	535	360	1,92,600
11.	सितम्बर-14	1005	754	256	498	360	1,79,280
12.	अक्तूबर-14	1005	754	208	546	360	1,96,560
13.	नवम्बर-14	1005	754	213	541	360	1,94,760
14.	दिसम्बर-14	1005	754	210	544	360	1,95,840
15.	जनवरी-15	1005	754	229	525	360	1,89,000
16.	फरवरी-15	1005	754	229	525	360	1,89,000
17.	मार्च-15	1005	754	235	519	360	1,86,840
18.	अप्रैल-15	1005	754	262	492	360	1,77,120
19.	मई-15	1005	754	294	460	360	1,65,600
20.	जून-15	1005	754	294	460	365	1,67,900
21.	जुलाई-15	1005	754	266	488	365	1,78,120
22.	अगस्त-15	1005	754	277	477	365	1,74,105
23.	सितम्बर-15	1005	754	256	498	365	1,81,770
24.	अक्तूबर-15	1005	754	253	501	365	1,82,865
25.	नवम्बर-15	1005	754	213	541	365	1,97,465
26.	दिसम्बर-15	1005	754	229	525	365	1,91,625
27.	जनवरी-16	1005	754	237	517	365	1,88,705

क्रम. सं.	माह	संविदा मांग	बिल की गई मांग	वास्तविक मांग	अंतर	दर	(राशि ₹ में)
28.	फरवरी-16	1005	754	250	504	365	1,83,960
29.	मार्च-16	1005	754	253	501	365	1,82,865
30.	अप्रैल-16	1005	754	280	474	375	1,77,750
31.	मई-16	1005	754	298	456	375	1,71,000
32.	जून-16	1005	754	310	444	375	1,66,500
33.	जुलाई-16	1005	754	296	458	375	1,71,750
34.	अगस्त-16	1005	754	275	479	375	1,79,625
35.	सितम्बर-16	1005	754	291	463	375	1,73,625
36.	अक्तूबर-16	1005	754	250	504	375	1,89,000
37.	नवम्बर-16	1005	754	238	516	375	1,93,500
38.	दिसम्बर-16	1005	754	245	509	375	1,90,875
39.	जनवरी-17	1005	754	243	511	375	1,91,625
40.	फरवरी-17	1005	754	299	455	375	1,70,625
41.	मार्च-17	1005	754	318	436	375	1,63,500
42.	अप्रैल-17	1005	754	346	408	375	1,53,000
43.	मई-17	1005	754	358	396	375	1,48,500
44.	जून-17	1005	754	381	373	375	1,39,875
45.	जुलाई-17	1005	754	326	428	375	1,60,500
46.	अगस्त-17	1005	754	317	437	190	83,030
47.	सितम्बर-17	1005	754	322	432	190	82,080
48.	अक्तूबर-17	1005	754	288	466	190	88,540
49.	नवम्बर-17	1005	754	235	519	190	98,610
50.	दिसम्बर-17	1005	754	243	511	190	97,090
51.	जनवरी-18	1005	754	259	495	190	94,050
52.	फरवरी-18	1005	754	242	512	190	97,280
53.	मार्च-18	1005	754	262	492	190	93,480
54.	अप्रैल-18	1005	754	299	455	190	86,450
55.	मई-18	1005	754	330	424	375	1,59,000
56.	जून-18	1005	754	296	458	190	87,020
57.	जुलाई-18	1005	754	259	495	190	94,050
58.	अगस्त-18	1005	754	262	492	190	93,480

क्रम. सं.	माह	संविदा मांग	बिल की गई मांग	वास्तविक मांग	अंतर	दर	(राशि ₹ में)
59.	सितम्बर-18	1005	754	251	503	190	95,570
60.	अक्तूबर-18	1005	754	258	496	190	94,240
61.	नवम्बर-18	1005	754	227	527	190	1,00,130
62.	दिसम्बर-18	1005	754	229	525	190	99,750
63.	जनवरी-19	1005	754	235	519	190	98,610
64.	फरवरी-19	1005	754	237	517	190	98,230
65.	मार्च-19	1005	754	242	512	190	97,280
कुल							**1,10,28,040**

अनुलग्नक-8.1
(पैराग्राफ सं. 8.1 का संदर्भ लें)
तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान (13 सीएबी)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	अदा किए गए बोनस की राशि	वसूल किए गए बोनस की राशि
	शिक्षा मंत्रालय		
1.	भारतीय प्रौधोगिकी, संस्थान, खड़गपुर (आईआईटी-के)	164.95	शून्य
2.	भारतीय प्रौधोगिकी संस्थान, गुवाहटी (आईआईटी-जी)	48.49	शून्य
3.	विश्व भारती विश्वविद्यालय, शातिनिकेतन (वीबीयू)	58.96	शून्य
4.	भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान तथा प्रौधोगिकी संस्थान (आईआईइएसटी)	58.38	58.38
5.	बाबा भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (बीबीएयू)	13.05	8.50
6.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (एएमयू)	722.09	711.64
7.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (बीएचयू)	246.77	200.12
8.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ (आईआईएमएल)	18.77	शून्य
9.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, इलाहाबाद (एमएनएनआईटी)	23.66	शून्य
10.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नोएडा (एनआईओएस)	26.79	शून्य
11.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर (आईआईएमके)	4.73	शून्य
12.	इलाहबाद विश्वविद्यालय (एयू)	162.35	शून्य
	संस्कृति मंत्रालय		
13.	संस्कृति मंत्रालय एशियाई समिति, कोलकता (टीएएस)	38.15	शून्य
	कुल	**1,587.14**	**978.64**

अनुलंग्नक-10.1

(पैरा सं. 10.1 का संदर्भ लें)

संघ को टीडीएस के बिना किए गए भुगतान के ब्यौरे

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	संघ के दलों का नाम	बिल संख्या तथा तिथि	राशि	भुगतान से काटा जाना अपेक्षित टीडीएस
1.	आईटीआई लिमिटेड	सीपी00003502 31.03.2018	4,00,90,000	40,09,000
2.	आईटीआई लिमिटेड	सीपी00003507 31.03.2018	14,69,76,000	1,46,97,600
3.	इलैक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	सीपी00003499 31.03.2018	4,00,90,000	40,09,000
4.	इलैक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	सीपी00003501 31.03.2018	22,71,77,000	2,27,17,700
5.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	सीपी00003498 31.03.2018	4,00,90,000	40,09,000
6.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	सीपी00003500 31.03.2018	22,71,77,000	2,27,17,700
		कुल	**72,16,00,000**	**7,21,60,000**

अनुलग्नक-11.1

(पैराग्राफ संख्या 11.1.1 का संदर्भ लें)

सी.एस.आई.आर.की प्रयोगशालाएँ

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम
1.	सी.एस.आई.आर.- प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-ए.एम.पी.आर.आई), भोपाल
2.	सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-सी.बी.आर.आई.) रूड़की
3.	सी.एस.आई.आर.- कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र (सी.एस.आई.आर.-सी.सी.एम.बी.) हैदराबाद
4.	सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-सी.डी.आर.आई.) लखनऊ
5.	सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-सी.ई.सी.आर.आई., कराईकुडी
6.	सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-सी.ई.ई.आर.आई.), पिलानी
7.	सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-सी.एफ.टी.आर.आई.), मैसूर
8.	सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय काँच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-सी.जी.सी.आर.आई.), कोलकाता
9.	सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय औषधीय एवं संगध पौधा संस्थान (सी.एस.आई.आर.-सी.आई.एम.ए.पी.), लखनऊ
10.	सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-सी.आई.एम.एफ.आर.), धनबाद
11.	सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- सी.एल.आर.आई.), चेन्नई
12.	सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-सी.एम.ई.आर.आई.), दुर्गापुर
13.	सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- सी.आर.आर.आई.), नई दिल्ली

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम
14.	सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी.एस.आई.आर.- सी.एस.आई.ओ.), चंडीगढ़
15.	सी.एस.आई.आर.- केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- सी.एस.एम.सी.आर.आई.), भावनगर
16.	सी.एस.आई.आर.- चौथा प्रतिमान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- 4 पी.आई.), बेंगलुरू
17.	सी.एस.आई.आर.- जिनोमिकी और समवेत जीव-विज्ञान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.जी.आई.बी.), दिल्ली
18.	सी.एस.आई.आर.- हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.एच.बी.टी.), पालमपुर
19.	सी.एस.आई.आर.- भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.आई.सी.बी.), कोलकाता
20.	सी.एस.आई.आर.- भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.आई.सी.टी.), हैदराबाद
21.	सी.एस.आई.आर.- भारतीय समवेत औषध संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.आई.आई.एम.), जम्मू
22.	सी.एस.आई.आर.- भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.आई.पी.), देहरादून
23.	सी.एस.आई.आर.- भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.आई.टी.आर.), लखनऊ
24.	सी.एस.आई.आर.- खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.एम.एम.टी.), भुवनेश्वर
25.	सी.एस.आई.आर.- सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.एम.टेक.), चंडीगढ़
26.	सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला, (सी.एस.आई.आर.- एन.ए.एल.), बेंगलुरू
27.	सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.बी.आर.आई.), लखनऊ
28.	सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (सी.एस.आई.आर.- एन.सी.एल.), पुणे।
29.	सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.ई.ई.आर.आई.), नागपुर
30.	सी.एस.आई.आर.- उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.ई.आई.एस.टी.), जोरहाट
31.	सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.जी.आर.आई), हैदराबाद

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम
32.	सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.आई.आई.एस.टी.), तिरूवनंतपुरम
33.	सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.आई.ओ.), गोवा
34.	सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर.), नई दिल्ली।
35.	सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान (सी.एस.आई.आर.- एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस.), नई दिल्ली।
36.	सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (सी.एस.आई.आर.- एन.एम.एल.), जमशेदपुर
37.	सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सी.एस.आई.आर.- एन.पी.एल.), नई दिल्ली।
38.	सी.एस.आई.आर.- संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र (सी.एस.आई.आर.- एस.ई.आर.सी.), चेन्नई।
	सी.एस.आई.आर. इकाईयों के नाम
1.	सी.एस.आई.आर.- इकाईः ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी (सी.एस.आई.आर.- ओ.एस.डी.डी.), नई दिल्ली
2.	सी.एस.आई.आर.- इकाईः आयुर्वेद के माध्यम से अनुवादक अनुसंधान एवं नवीन विज्ञान, (सी.एस.आई.आर.-टी.आर.आई.एस.यू.टी.आर.ए.) नई दिल्ली।
3.	सी.एस.आई.आर.- इकाईः मानव संसाधन विकास केंद्र (सी.एस.आई.आर.- एच.आर.डी.सी.), गाजियाबाद
4.	सी.एस.आई.आर.- इकाईः सूचना उत्पाद अनुसंधान एवं विकास यूनिट (सी.एस.आई.आर.- यू.आर.डी.आई.पी.), पुणे।
5.	सी.एस.आई.आर.- इकाईः सी.एस.आई.आर, परंपरागत ज्ञान डिजीटल लाइब्रेरी (सी.एस.आई.आर.- टी.के.डी.एल.), नई दिल्ली।
6.	सी.एस.आई.आर. मद्रास कॉम्प्लेक्स (सी.एस.आई.आर.- सी.एम.सी.), चेन्नई।

अनुलग्नक-11.2

(पैराग्राफ संख्या 11.1.2.4 का संदर्भ लें।)

मॉडयूल वार अविकसित प्रक्रियाएँ एवं विकसित अकार्यरत प्रक्रियाएँ

क्र.सं.	मॉडयूल का नाम	मॉडयूल के विकास का कारण	उस प्रयोगशाला का नाम जहां मॉडयूल अकार्यरत था।	मॉडयूल की अविकसित प्रक्रियाओं का नाम	ऐसी विकसित प्रक्रियाओं का नाम जो विकसित थीं परंतु उपयोग में नहीं।	मॉडयूल के अकार्यरत/अनुपयोगी होने के कारण।
1.	एच.आर. पोर्टल	कर्मचारियों के स्थापना से संबंधित मामलों के स्वचालन एवं प्रोफाईल को बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए।	सी.बी.आर.आई., सी.एफ.टी.आर.आई., आई.जी.आई.बी., आई.आई.सी.बी., आई.एम.टेक, एन.बी.आर.आई., एन.ई.ई.आर.आई., एन.जी.आर.आई, एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस., एवं एन.पी.एल. (10 प्रयोगशालाएँ)	भर्ती, विज्ञापन, उपस्थिति प्रबंधन, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, पेंशन, वेतन नियतन, आयकर, मूल्यांकन बोर्ड का गठन, चयन समिति, सेवा में शामिल होना, ए.सी.आर./ए.पी.आर.	परिविक्षा एवं स्थायीकरण, डी.पी.सी. के माध्यम से पदोन्नति, वरिष्ठता मामले एवं स्थानांतरण।	➢ तकनीकी समस्याओं की वजह से। ➢ सर्वर की धीमी गति व अनुचित कार्य करने के कारण ➢ संसाधनों की कमी, डेटा ह्रास ➢ 7 वे सी.पी.सी. के मुताबिक सॉफ्टवेयर का गैर संशोधन
2.	वित्त एवं खाता मॉडयूल	सभी लेखा कार्यों का स्वचालन जैसे कि, सभी प्रकार के बिलों का भुगतान, लेजर ब्रॉडशीट, सी.एस.आई.आर. का आय-व्यय खाता एवं बैंलेंस शीट का निर्माण	सी.बी.आर.आई. सी.सी.एम.बी., सी.डी.आर.आई, सी.एफ.टी.आर.आई., सी.एस.आई.ओ., 4पी.आई., आई.जी.आई.बी., आई.एच.बी.टी., आई.आई.सी.बी., आई.आई.सी.टी., आई.आई.पी., आई.एम.एम.टी., आई.एम.टेक., एन.बी.आर.आई., एन.ई.ई.आर.आई., एन.जी.आर.आई., एन.आई.आई.एस.टी., एन.आई.ओ.	सरकार/मंत्रालय से अनुदान की मांग, सक्षम प्राधिकारी से बजट के लिए मंजूरी	बजट अनुमानों का बिंदु वार निर्माण, मुख्यालय/प्रयोगशालाओं के संबंध में मांगों का संकलन एवं समेकन, विभिन्न लेखा रजिस्टरों का निर्माण	➢ वित्त मॉडयूल स्वंय सी.एस.आई.आर. के मुख्यालय पर ही कार्यरत नहीं था। ➢ बनाई गई रिपोर्टों तथा रजिस्टरों की हार्डकॉपी एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी।

क्र.सं.	मॉडयूल का नाम	मॉडयूल के विकास का कारण	उस प्रयोगशाला का नाम जहां मॉडयूल अकार्यरत था।	मॉडयूल की अविकसित प्रक्रियाओं का नाम	ऐसी विकसित प्रक्रियाओं का नाम जो विकसित थीं परंतु उपयोग में नहीं।	मॉडयूल के अकार्यरत/अनुपयोगी होने के कारण।
			एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर., एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस., एन.एम.एल., एन.पी.एल., एंड एस.ई.आर.सी. (23 प्रयोगशालाएं)			
3.	आई.ई.एस.पी.	प्रक्रियाओं जैसे कि सुविधाओं के प्रबंधन, रखरखाव एवं संबंधित सेवाएँ, अनुबंध प्रबंधन, ई-खरीदी, स्टोर्स/इनवेंट्री एवं परियोजना प्रबधन का स्वचलन	सी.बी.आर.आई., सी.सी.एम.बी, सी.डी.आर.आई, सी.एफ.टी.आर.आई, सी.एस.आई.ओ., 4पी.आई., आई.जी.आई.बी., आई.आई.सी.बी., आई.आई.सी.टी., आई.आई.पी., आई.एम.टेक, एन.बी.आर.आई., एन.ई.ई.आर.आई., एन.जी.आर.आई, एन.आई.आई.एस.टी., एन.आई.ओ., एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर., एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस., एन.एम.एल. एंड एन.पी.एल., (20 प्रयोगशालाएँ)	सामग्री प्रबंधन मॉडयूल में पूर्व इंडेंट प्रवाह और एन.आई.टी./ ई.टेंडरिंग प्रक्रिया	मांगपत्र का प्रस्ताव, प्रारंभिक अनुमानों का निर्माण, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, एन.आई.टी. एवं कार्य आदेश की अंतिम नियुक्ति, समझौता, सुविधाओं के प्रबंधन, रखरखाव संचालन और संबंधित सेवा मॉडयूल की उप प्रक्रियाएं	➢ कार्य करने की विधि के बारे में जानकारी का अभाव ➢ मॉडयूल के चलने में आई समस्या का निराकरण न होना। ➢ बजट शीर्षक का काम न करना, तकनीकी कारण ➢ वित्त व एच.आर. मॉडयूल के साथ एकीकरण ना होना ➢ सर्वर की धीमी प्रतिक्रिया एवं डाटा ह्रास।
4.	आर. एंड डी. नियोजन पोर्टल	विभिन्न आर. एंड डी. परियोजनाओं की योजना एवं प्रबंधन, व्यवसाय विकास कार्य, तीन उपमॉड्यूलों के अंतर्गत क्रमशः नियोजना एवं प्रदर्शन प्रभाग (पी.पी.डी.), विज्ञान प्रसार इकाई (यू.एस.डी.), एवं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं	सी.बी.आर.आई., सी.सी.एम.बी., सी.डी.आर.आई., सी.एफ.टी.आर.आई., 4पी.आई, आई.जी.आई.बी., आई.आई.सी.बी., आई.आई.सी.टी., आई.आई.पी., एन.ई.ई.आर.आई., एन.जी.आर.आई., एन.आई.आई.एस.टी.,		अनुदानों की मांग, पंचवर्षीय योजनाएँ, परिणामी बजट, वार्षिक रिपोर्ट, अर्ध वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट, एन.एम.आई.टी.एल.आई., उप मॉडयूलों क्रमशः पी.पी.डी., यू.एस.डी. एवं आई.एस.टी.ए.डी. के अंतर्गत व्यवसाय विकास	➢ तकनीकी समस्याओं के चलते, ➢ डाटा ह्रास ➢ प्रगति रिपोर्ट एवं समापन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं किए जा सके। ➢ पोर्टल में परियोजनाएं बंद नहीं की जा सकीं। ➢ कार्य प्रवाह का असफल विन्यास

क्रं.सं.	मॉडयूल का नाम	मॉडयूल के विकास का कारण	उस प्रयोगशाला का नाम जहां मॉडयूल अकार्यरत था।	मॉडयूल की अविकसित प्रक्रियाओं का नाम	ऐसी विकसित प्रक्रियाओं का नाम जो विकसित थीं परंतु उपयोग में नहीं।	मॉडयूल के अकार्यरत/अनुपयोगी होने के कारण।
		प्रौद्योगिकी मामलों के निदेशालय (आई.एस.टी.ए.डी.), के अंतर्गत सी.एस.आई.आर के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संचालन	एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर., एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस., एन.एम.एल., एवं एन.पी.एल., (16 प्रयोगशालाएं)		गतिविधियाँ	➢ मॉडयूलों के एकीकरण में कमी। ➢ बजट विवरण अध्यतन नहीं किए जा सके।
5.	पी.पी.एम.	कार्यात्मकताओं के प्रदर्शन जैसे कि विभिन्न समिति निर्माण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया एवं बैठक प्रबंधन, आर.टी.आई. एवं कानूनी मामलों की प्रक्रिया, एस.एस.बी. अवार्ड के लिए पोर्टल, ई-डाक एवं ई-फाइलिंग प्रक्रिया, नीतियों से संबंधित सभी मामलों की प्रक्रिया, विभिन्न अभिलेखों का रिकॉर्ड प्रबंधन एवं इलेक्ट्रॉनिक फाईल प्रबंधन	सी.बी.आर.आई., सी.सी.एम.बी., सी.डी.आर.आई., सी.एफ.टी.आर.आई., सी.आर.आर.आई., सी.एस.आई.ओ., 4पी.आई., आई.जी.आई.बी., आई.आई.सी.बी., आई.आई.सी.टी., आई.आई.आई.एम., आई.आई.पी., आई.आई.टी.आर., आई.एम.एम.टी., एन.ए.एल., एन.बी.आर.आई., एन.सी.एल., एन.ई.ई.आर.आई., एन.जी.आर.आई., एन.आई.ओ., एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर., एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस., एन.पी.एल., एवं एस.ई.आर.सी., (24 प्रयोगशालाएं)	रिकार्ड प्रबंधन प्रक्रिया	समिति निर्माण एवं बैठक प्रबंधन, आर.टी.आई. एवं कानूनी मामलों की प्रक्रिया, अवार्डस, ई-डाक एवं ई-फाइलिंग प्रक्रिया, नीति निर्माण एवं संशोधन, विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण	➢ पहुंच की धीमी गति। ➢ तकनीकी कारण ➢ डेटा ह्रास ➢ मॉडयूल का कार्यरत ना होना।

अनुलग्नक-11.3

(पैराग्राफ संख्या 11.1.2.4 का संदर्भ लें।)

सितंबर 2019 तक छह चिन्हित प्रयोगशालाओं में ई.आर.पी. के लागू होने की स्थिति।

क्रं.सं.	प्रयोगशाला का नाम	ई.आर.पी. के पूर्णतया लागू होने की तिथि	ई.आर.पी. के कार्यरत मॉडयूलों का नाम	कारण
1.	सी.ई.सी.आर.आई. कारईकुडी	जनवरी 2013	आई.ई.एस.पी. के कुछ भाग के अलावा सभी।	वर्क मॉडयूल लेनदेन रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। हालांकि, बिलों को एम.पी.बी. के माध्यम से संसाधित किया गया था।
2.	एन.एम.एल. जमशेदपुर	अगस्त 2013	केवल एच.आर. एवं पी.पी.एम. आंशिक रूप से	सी.एस.आई.आर. द्वारा एफ.ए.एम. को लागू करने के निर्देश प्राप्त नहीं हुए। आर. एंड डी. मॉडयूल में कई दिशा निर्देशों को समाहित किया जाना था।
3.	एन.सी.एल. पुणे	अप्रैल 2013/ अप्रैल 2014	आंशिक रूप से एच.आर. एवं एफ.ए. के अलावा सभी।	एफ.ए.एम. के साथ साथ नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और इम्पैक्ट का इस्तेमाल किया गया। कर्मचारियों के वेतन बिल डाटा ई.आर.पी. में शुरू से ही शामिल नहीं किए गए।
4.	एस.ई.आर.सी. चेन्नई	जून 2013	आर. एंड डी., एच.आर., एवं आई.ई.एस.पी. आंशिक रूप से	केवल वेतन बिल स्थिति को लागू किया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है। पिछले एक वर्ष में ई.आर.पी. के माध्यम से कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। परियोजना विवरणों की अद्‌यतन प्रक्रिया प्रगति पर थी।
5.	एन.ई.ई.आर.आई., नागपुर	लागू नहीं किया गया	कोई नहीं	कार्यात्मकताओं के बीच सहज एकीकरण संभव नहीं था। सॉफ्टवेयर कार्य करने की गति बहुत खराब थी। सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ से समस्याओं का समाधान नहीं किया गया।
6.	आई.एम.टेक, चंडीगढ़	एच.आर.- जनवरी 2012 एफ.ए.- अप्रैल 2017	आर. एंड डी. एवं ई-अधिगम पूर्ण रूप से एवं पी.पी.एम. आंशिक रूप से	संसाधन काफी बड़ा था, उपयोगकर्ता के अनुरूप नहीं था, बहुत सारी खामियाँ, अत्यधिक समय लगना, पुनरावृत्ति एवं जटिल था।

अनुलग्नक-11.4

(पैराग्राफ संख्या 11.1.2.4 का संदर्भ लें)

सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं में इनहाउस/वेंडर द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर

क्रं. सं.	प्रयोगशाला का नाम	सिस्टम का नाम	विकसित किया गया	विकसित करने का प्रयोजन	ई.आर.पी. में विकसित प्रक्रिया
1.	एन.सी.एल.	ऑनलाईन व्यक्तिगत सूची	इन-हाउस रूप में विकसित	व्यक्तिगत सूची का रिकॉर्ड रखना	एच.आर.मॉडयूल
		मांगपत्र प्रबंधन प्रणाली		मांग पत्र का निर्माण एवं प्रसंस्करण	आई.ई.एस.पी. मॉडयूल
		वित्त-ई.एम.आई.एस.		एफ.वी.सी. एवं भुगतान	एफ.ए. मॉडयूल
		वाहन मांग प्रणाली		परिवहन मांग	एच.आर.मॉडयूल
		भर्ती		भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन	एच.आर.मॉडयूल
		डी.आर.आर. सिस्टम		स्टोर के लिए दैनिक पावती रजिस्टर	आई.ई.एस.पी.मॉडयूल
		सुविधा प्रबंधन बुकिंग		सभागार, लेक्चर हॉल की बुकिंग	एच.आर.मॉडयूल
		परियोजना प्रबंधन		परियोजना प्रबंधन	आर. एंड डी. मॉडयूल
		चालान प्रणाली		चालान का निर्माण	आई.ई.एस.पी. मॉडयूल
2.	आई.एम.एम.टी.	सी.एस.आई.आर.-आई.एम.एम.टी. इंट्रानेट	इन हाउस विकसित	ओ.एम. का कोष, नोटिस, परिपत्र, आदि, इन हाउस परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन, विभिन्न कार्यक्रमों की तस्वीरों का कोष, शिकायत प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रोफाईल अद्यतन	पी.पी.एम., एच.आर. एवं आर. एंड डी. मॉड्यूल
		अतिथि गृह बुकिंग		ऑनलाईन अतिथि गृह का अनुरोध एवं कमरों का प्रबंधन	एच.आर. मॉडयूल
		ऑनलाईन भर्ती पोर्टल		भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन	एच.आर. मॉडयूल

क्रं. सं.	प्रयोगशाला का नाम	सिस्टम का नाम	विकसित किया गया	विकसित करने का प्रयोजन	ई.आर.पी. में विकसित प्रक्रिया
3.	सी.ई.सी.आर.आई.	ऑनलाईन भर्ती पोर्टल	इन हाउस विकसित	भर्ती हेतु	एच.आर. मॉडयूल
		बी.टेक. में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल		बी.टेक में प्रवेश हेतु	एच.आर. मॉडयूल
		सम्मेलन प्रबंधन हेतु		सम्मेलन में शोध पत्रों के ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण हेतु	आर. एंड डी. मॉडयूल
4.	सी.आई.एम.ए.पी.	इंटरानेट	आई.सी.टी. टीम इन हाउस विकसित	संस्थान के कर्मचारियों, शोधकर्ताओं के लिए अधिकारिक प्रोफ्रोमा, ज्ञापन, एम.ओ.एम., इत्यादि का डिजीटल भंडार।	एच.आर. एवं आर. एंड डी. मॉडयूल
		स्टाफ का बायोडाटा		स्टाफ की डीजीटल प्रोफाईल	एच.आर. मॉडयूल
		खाते		वाउचर इंट्री, चेक जारी करने एवं स्थिति के लिए ऑनलाईन पोर्टल	आई.ई.एस.पी. मॉडयूल
		दौरे एंव अग्रिम		संस्थान के कर्मचारियों और शोधकर्ताओं को दौरे की ऑनलाइन बुकिंग और अग्रिमों के लिए पोर्टल	एच.आर. मॉडयूल
		ऑनलाईन मांग पत्र सॉफ्टवेयर		मांग पत्र हेतु	आई.ई.एस.पी. मॉडयूल
		केंद्रीय साधन सुविधा केंद्र		वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं हेतु संस्थागत विश्लेषणात्मक उपकरण बुक करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल	आर. एंड डी. मॉडयूल
5.	सी.एफ.टी.आर.आई.	एम.ई.सी.ओ.एन.	एम.ई.सी.ओ.एन.	क्रय गतिविधियों एवं भंडारण हेतु	आई.ई.एस.पी. मॉडयूल
		मांग पत्र प्रबंधन प्रणाली	सी.एफ.टी.आर.आई.	सी.एन.पी., जी.ए.पी., एम.एल.पी. आदि परियोजनाओं के वेब प्रबंधन एवं बजट आवंटन हेतु केंद्रीय बेव आधारित सॉफ्टवेयर	आर. एंड डी. मॉडयूल

क्रं. सं.	प्रयोगशाला का नाम	सिस्टम का नाम	विकसित किया गया	विकसित करने का प्रयोजन	ई.आर.पी. में विकसित प्रक्रिया
6.	एन.आई.ओ.	लोटस नोट्स	इन हाउस	यात्रा, अवकाश क्रय, टेलीफोन प्रतिपूर्ति, सी.ई.ए., वाहन बुकिंग, पंजीकरण शुल्क आदि के प्रबंधन हेतु।	एच.आर. मॉडयूल
		लोटस नोट्स		परियोजना प्रबंधन (वित्त पोषित परियोजनाओं का निर्माण, परियोजना रिपोर्ट समीक्षा, रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण, मानदेय वितरण, प्रोद्योगिकी हस्तांतरण का विवरण, चालान का निर्माण, टी.डी.एस. विवरण)	आर. एंड डी. मॉडयूल
7.	आई.एम.टेक	कंपास	टी.सी.एस. (₹10 लाख)	स्टोर एवं क्रय हेतु	आई.ई.एस.पी. मॉडयूल

अनुलग्नक 11.5

(पैराग्राफ संख्या 11.1.2.5 (ए) का संदर्भ लें)

एच.आर. मॉडयूल की समस्याएँ

प्रक्रिया	लेखापरीक्षण में सामने आई समस्याएँ	टिप्पणियाँ
एच.बी.ए.	(i) तीन प्रयोगशालाओं द्वारा सात एप्लिकेशन बनाए गए थे जिनमें से केवल एक एप्लिकेशन पर इस सिस्टम द्वारा काम किया गया। (ii) उप-प्रक्रिया को छठवें सी.पी.सी. के मापदंडों के अनुसार तैयार किया गया था जिसे सातवें सी.पी.सी. के अनुसार अद्यतन नहीं किया गया था। इस तरह, एच.बी.ए. मामलों पर कार्य मैन्युअल रूप से किया जा रहा था।	सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि एच.बी.ए. आवेदनों को ऑनलाईन रूप से ग्रहण करने एवं कार्य करने की विकसित प्रक्रिया काम कर रही थी, परंतु कम खरीददार होने के चलते, प्रयोगशालाओं द्वारा इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। तथ्य यह रहा कि एप्लीकेशन का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि प्रक्रिया का निर्माण छठवें सी.पी.सी. के अनुसार किया गया था जिसे सातवें सी.पी.सी. के अनुसार अद्यतन नहीं किया गया।
अवकाश	(i) केवल तीन तरह के अवकाश सी.एल, आर.एच. एवं ई.एल. (आंशिक) को ही ई.आर.पी. के माध्यम से लागू किया जा सका। अन्य तरह के अवकाशों[1] हेतु (एस.एल., एम.एल, पी.एल. आदि) कर्मचारियों को निदेशक से मैन्युअल अनुमोदन लेना पड़ा क्योंकि प्रक्रिया प्रवाह को निदेशक स्तर तक नहीं ले जाया गया था। (ii) सर्विस बुक के अनुसार कई कर्मचारियों का ई.एल. शेष ई.आर.पी. से निकली रिपोर्ट से मेल नही खाता था। असाधारण अवकाश (ई.ओ.एल.) को संसाधित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सिस्टम ई.ओ.एल. के अनुरूप ई.एल. खाते से 1/10 भाग स्वयं से काटने में असमर्थ था। सिस्टम ने ई.एल. के साथ संयोजन में	(i) सी.एस.आई.आर. ने प्रक्रिया प्रवाह को निदेशक स्तर तक मैप करने के लिए बग को ठीक नहीं किया। (ii) सी.एस.आई.आर. ने बताया कि (नवंबर 2020) ई.एल. डेटा सी.ई.सी.आर.आई. में केवल ई.आर.पी. में रखा जाता है तथा कागजी आवेदन बंद किए जाने के कारण वहीं से सेवा पुस्तिका में लिया जाता है। प्रयोगशालाओं में जहां दोहरे सिस्टम को अपनाया गया था यानी ई.आर.पी. और पेपर एप्लीकेशन दोनों, छुट्टी बेमेल ई.आर.पी. आवेदन अंत से अंत तक प्रसंस्करण नहीं होने के कारण था। सी.एस.आई.आर.

[1] परिवर्तित अवकाश, मातृत्व/ पितृत्व अवकाश

प्रक्रिया	लेखापरीक्षण में सामने आई समस्याएँ	टिप्पणियाँ
	ई.ओ.एल. के लिए आवेदन करने की अनुमति भी नही दी। (iii) 'datLeaveTransactions' डेटा बेस के 15,01,432 रिकार्डस[2] के विश्लेषण से पता चला कि 15,00,838 केसों में अवकाश अवधि काल की गलत गणना की गई थी। 11 मामलों में अवकाश की तारीखे सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की पाई गईं। 557 मामलों में 'Leavetype ID' '0' दिखा रहा था जो कि तार्किक रूप से गलत है।	ने यह भी बताया कि ई.ओ.एल. आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा तथा बग भी ठीक किए जाएंगे। (iii) सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि कुछ परीक्षण मामले जो सेवानिवृत्ति के बाद तक चले गए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह डेटा बग ठीक होने के पहले बना था। उपयोगकर्ता के स्थान पर नेटवर्क डिस्कनेक्शन के कारण 'Leave type id' '0' दिखा रहा था। तथ्य यह है कि कई मामलों में गलतियाँ मौजूद थी।
पारिवारिक विवरण	'datEmployeeFamilyDetail' डेटाबेस के 85,876 रिकॉर्डस (18,684 सेवारत तथा सेवानिवृत कर्मचारियों के आश्रित पारिवारिक सदस्यों सहित) के विश्लेषण में पता चला कि- (i) 6,135 आश्रितों के संदर्भ में अनिवार्य वैवाहिक स्थिति तथा 82,586 मामलों में वार्षिक आय का वर्णन नहीं किया गया था। (ii) 3,136 कर्मचारियों (17 प्रतिशत) के संदर्भ में दो से अधिक जीवित बच्चे पारिवारिक सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे, परंतु उनकी जन्म दिनांक का वर्णन नहीं किया गया था।	(i) सी.एस.आई.आर. ने बताया कि (नवंबर 2020) कि 6,135 आश्रितों की अनिवार्य वैवाहिक स्थिति प्रयोगशालाओं द्वारा डेटा की अनुपलब्धता के कारण दर्ज नहीं की गई एवं उन्हें अद्यतन कर दिया जाएगा। (ii) सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि केवल रिकॉर्ड के लिए सभी बच्चों की प्रविष्टि की गई है। चिकित्सा तथा एल.टी.सी. के लिए आश्रितों के सत्यापन से संबंधित अलग प्रक्रिया है।
कर्मचारी डेटाबेस	'datEmployee' तालिका की जांच में पता चला कि 22,740 मामलों में से 2,704 मामलों में लिंग आई.डी. को '0' दिखाया गया जो कि परिभाषा सारणी में भी वर्णित नहीं थी तथा 3,620 मामलों में अनिवार्य क्षेत्र 'राष्ट्रीयता' का भी वर्णन नहीं था।	सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि यह सेवा पुस्तिका व्यवस्थापक द्वारा अद्यतन न करने की वजह से हुआ, जिसे कि कर दिया जाएगा।

[2] टेस्ट डेटा सहित।

प्रक्रिया	लेखापरीक्षण में सामने आई समस्याएँ	टिप्पणियाँ
एल.टी.सी.	'datLTCApplications' तालिका में 10,007 रिकॉर्ड्स थे जिनमें से 286 संसाधित डेटा थे (सितंबर 2019 तक)। विश्लेषण से पता चला कि:- (i) गृह नगर, जे. एंड के. क्षेत्र, उ.पू. क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार के लिए चार अलग आई.डी. बनाई गई थी। हालांकि, जिन क्षेत्रों का दौरा किया गया था उनकी परिभाषित आई.डी अनुसार मैपिंग नहीं की गई थी। इस तरह दौरे किए गए स्थान परिभाषा[3] से मेल नहीं खाते। (ii) एक साल ब्लॉक के मामलों में, सिस्टम ने विस्तारित वर्षों के दौरान एल.टी.सी. लेने की छूट दी जो कि एल.टी.सी. नियमों[4] के अनुसार नहीं था। (iii) 54 मामलों में, भले ही छुट्टी के नकदीकरण में भुगतान किया गया था, किंतु नकदीकरण क्षेत्र में कोई राशि नहीं दिखाई गई थी। (iv) 5 मामलों में, एल.टी.सी. ब्लॉक वर्ष आई.डी. '0' दिखाई गई जबकि ब्लॉक वर्ष की परिभाषा सारणी में इसका कोई वर्णन नहीं था। (v) 3 मामलों में, 'Applied by' क्षेत्र '0' दिखाया गया था। (vi) ब्लॉक वर्ष की आई.डी. एल.टी.सी. उद्देश्य आई.डी. के लिए सही से मैप नहीं की गई थी। 835 मामलों में गृहनगर के लिए एक वर्ष के ब्लॉक वर्ष के लिए दिखाई गई आई.डी. भारत में कहीं भी चार वर्ष के एल.टी.सी. उद्देश्य के लिए चयनित की जा सकती थी। (vii) चौथे एवं आठवें ब्लॉक वर्ष[5] के अलावा किसी भी ब्लॉक वर्ष में भारत में कहीं	सी.एस.आई.आर. ने बताया कि बताए गए बग्स को ठीक किया जाएगा।

[3] हैवलोक, वाराणसी, कोलकाता, पुणे को उ.पू. क्षेत्र में दिखाया गया था। नागरकोइल, लक्षद्वीप, कन्याकुमारी को अंडमान निकोबार द्वीप में दिखाया गया था।

[4] उदाहरण के लिए, वर्ष 2015 के एक साल के ब्लॉक के लिए (ब्लॉक वर्ष आई.डी.-19), सिस्टम ने 2014 के वर्ष में 2 मामलों में एल.टी.सी. उद्देश्य के लिए छुट्टी की अनुमति दी। इसी तरह वर्ष 2017 के एक साल के ब्लॉक के लिए (ब्लॉक वर्ष आई.डी.-28) सिस्टम ने वर्ष 2018 एवं 2019 में एल.टी.सी. उद्देश्य के लिए छुट्टी की अनुमति दी।

प्रक्रिया	लेखापरीक्षण में सामने आई समस्याएँ	टिप्पणियाँ
	भी एल.टी.सी. का लाभ उठाने से नए भर्ती हुए कर्मचारियों को रोकने के लिए सिस्टम की कोई सत्यापन जाँच नहीं थी। (viii) सिस्टम के माध्यम से एल.टी.सी. आवेदन के प्रसंस्करण नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने एक विशेष ब्लॉक वर्ष के लिए कई बार आवेदन किया।	
समाचार पत्र प्रतिपूर्ति	(i) कर्मचारी स्वयं सेवा (ई.एस.एस.) मैन्यू के अंतर्गत उन कर्मचारियों की समाचार पत्र पात्रता ₹ 500 दिखाई जिनकी असल पात्रता ₹ 850 थी अर्थात सिस्टम कर्मचारी के सेवा रिकार्ड से डेटा लेने में असमर्थ था। (ii) कर्मचारियों द्वारा उनके हक से अधिक मांग किए जाने पर सिस्टम स्वीकार्य मात्रा में प्रतिबंधित करने में असमर्थ था।	सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) सत्यापन जांच अब शामिल कर ली गई है।
जी.पी.एफ.	(i) सिस्टम ने कार/स्कूटर के क्रय हेतु 100 प्रतिशत जमा राशि के आहरण की स्वीकृति दी जो कि नियमों के विरूद्ध है।[6] (ii) सिस्टम ने वापसी योग्य आहरण के लिए किश्तों की संख्या दर्ज किए बिना ही आवेदनों को सेव कर दिया। (iii) 419 पूर्ण वापसी योग्य जी.पी.एफ. आवेदनों में, किश्तों की संख्या शून्य दिखाई गई, जिससे यह पता चलता है कि सिस्टम में वापसी योग्य जी.पी.एफ. आवेदन की सत्यापन जांच का विकल्प नहीं है। (iv) datGPFBroadsheet' सारणी को अद्यतन नहीं किया गया था। 98 प्रतिशत	सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि जी.पी.एफ. के आहरण के लिए व्यावसायिक नियम, किश्तों की संख्या को सिस्टम में शामिल कर लिया गया है तथा बग्स को भी ठीक कर लिया गया है। सी.एस.आ.आर. ने यह भी बताया कि जी.पी.एफ. रिकार्ड, जी.पी.एफ. खाता क्रमांक. तथा नामांकन विवरण भी चालू वित्त वर्ष में किए गए हैं। सी.एस.आई.आर. ने यह भी बताया कि जी.पी.एफ. आवेदनों पर काम मैन्युअल रूप से तथा ऑनलाईन दोनों तरह से किया जा रहा है जिसे अब से केवल ऑनलाईन रूप में किया जाएगा।

[5] डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 26 सितंबर 2014 आदेशानुसार नए भर्ती हुए कर्मचारी 4 वर्षों के ब्लॉक में 3 बार अपने परिवार के साथ अपने ग्रहनगर तथा चौथे वर्ष में पूरे भारत में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधा नए भर्ती हुए कर्मचारियों को सरकारी सेवा में आने के बाद लागू होने वाले चार वर्षों के पहले दो ब्लॉकों के लिए उपलब्ध होगी।

[6] जी.पी.एफ. नियम, 1960 के नियम 15 के अनुसार मोटर कार, मोटर साईकल एवं स्कूटर के क्रय हेतु आहरण राशि जी.पी.एफ. खाते की जमा राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रक्रिया	लेखापरीक्षण में सामने आई समस्याएँ	टिप्पणियाँ
	कर्मचारियों के संबंध में जी.पी.एफ. नामांकन सिस्टम में दर्ज नहीं किए गए थे। 50 मामलों में जी.पी.एफ. खाता क्रमांक दर्ज नहीं किए गए थे और चार एवं पांच मामलों में यह क्रमशः 'NA' व 'XXXX' दर्ज किया गया था। (v) 1,633 मामलों में, जी.पी.एफ. खाता क्रमांक एक से अधिक कर्मचारी के लिए आवंटित किया गया था। (दो से 19 कर्मचारियों तक) (vi) यद्पि कर्मचारियों (प्रयोगशाला स्तर) ने जी.पी.एफ. के लिए सिस्टम के माध्यम से आवेदन किया था, परंतु भुगतान प्रयोगशाला में रखे गये जी.पी.एफ. ब्रॉडशीट के साथ सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट में विसंगति के कारण डी.डी.ओ. द्वारा पारित बिलों के आधार पर किया गया था। यह जी.पी.एफ. बिलों को पास करने के लिए मैन्युअल रिकार्डस पर निरंतर निर्भरता को इंगित करता है।	
वेतन बिल	वेतन बिलों के निर्माण के लिए विस्तृत अनिवार्य जानकारी आर. एंड डी. पोर्टल के एच.आर. मॉडयूल, एफ.ए. मॉडयूल तथा नियोजन एवं निष्पादन प्रभाग (पी.पी.डी.) से आती है। वांछित कार्यात्मकताओं (जैसे कि एच.आर. मॉड्यूल में वेतन वृद्धि, वेतन निर्धारण, एफ.ए. मॉडयूल में आयकर की गणना, विभिन्न वसूलियां, अनाधिकृत ई.ओ.एल. अवकाश के लिए वसूली आदि और पी.पी.डी. से वेतन एवं भत्तों के लिए विशिष्ट बजट आवंटन), को इन माड्यूलों से नही किया जा रहा था, इस अध्यतन जानकारी को मैन्युअल रूप से दर्ज करके और बाद में भुगतान करने के लिए ई.आर.पी. सिस्टम का उपयोग करके वेतन बिल तैयार किए जा रहे थे। साथ ही ई.आर.पी. का ई.सी.एस. भुगतान सिस्टम के साथ कोई इंटरफेस नहीं था। इस तरह ई.आर.पी. सिस्टम में अंत से अंत तक वेतन बिलों के निर्माण के लिए कोई उपाय नहीं था।	सी.एस.आई.आर. ने बताया (नवंबर 2020) कि वेतन निर्धारण में काफी मैन्युअल काम करना होता है इसलिए इसे स्वचालित नहीं किया जा सकता तथा बैंकिग प्रणाली की सुरक्षा के चलते ई.सी.एस. सिस्टम को लिंक नहीं किया जा सका। सी.एस.आई.आर. ने आगे बताया कि आयकर की गणना (स्वचालित) अगले वित्त वर्ष से की जाएगी।

अनुलग्नक-13.1

(पैराग्राफ 13.3.2 का संदर्भ लें)

डीपी द्वारा स्वीकार की गई दरों तथा एनएयू द्वारा निर्धारित दरों की तुलना

क्र.सं.	वी.के. एण्ड सन्स वलसाड को आदेश दिए गए वृक्षों के नाम	डीपी सिलवासा द्वारा स्वीकृत दरें/वृक्ष (राशि ₹ में)	एनएयू द्वारा नियत दर/वृक्ष (राशि ₹ में)	दर अंतर/वृक्ष (राशि ₹ में)
1.	आम के पौधे (केसर, अल्फान्सो, राजापुरी एवं तोतापुरी)	400	125	275
2.	चीकू	200	100	100
3.	अमरूद	250	20	230
4.	लिम्बू (नींबू)	300	15	285
5.	सीताफल	300	20	280
6.	नारियल	350	50	300
7.	सफेद जम्बो	300	20	280
8.	रामफल	300	20	280
9.	काजू	300	40	260